निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 811) पटना, वृहस्पतिवार, 30 अगस्त 2018

मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
30 अगस्त 2018

सं0–IV/एम[1]–1–34/2017–**2969**—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (निबंधन एवं अन्य सम्बंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) की धारा–69 की उप धारा (1) खण्ड (क) एवं (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियमावली बनाते है : –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः –**

(1) यह नियमावली **बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2018** कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगा।

2. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम–19 के उप नियम (XV) के बाद उप नियम (XVi) के रूप में निम्न प्रकार से जोड़ा जायेगा: –

"19.**(XVi)**– यदि कोई दस्तावेज ऐसे भू–सम्पदा परियोजना की सम्पत्ति के हस्तांतरण से संबंधित हो, जिनका भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 तथा भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अधीन भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार से निबंधन अनिवार्य हो किन्तु जो इस प्राधिकरण से पंजीकृत न हो।

परन्तु भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधीन गठित बिहार भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के प्रभावी होने के पूर्व निबंधित फ्लैटों/अपार्टमेंट के पुनः बिक्री पर यह प्रभावी नहीं होगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

30 अगस्त 2018

सं0–IV/एम[1]–1–34/2017–**2969** दिनांक **30.08.2018** उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 30th August 2018

NO. IV/M[1]- 1-34/2017-**2969**— In exercise of the power conferred by clause (a) and (aa) of sub Section (1) of Section 69 of the Registration Act, 1908 (as amended by Registration and other related laws (amendment) Act, 2001 the Inspector General of Registration with the approval of the Government of Bihar makes following Rules: -

1.Short title, extent and commencement:—

(1) These rules may be called the Bihar Registration (Amendment) Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from the date of issue of notification.

2. The following shall be added after sub-rule (xv) as sub-rule (xvi) of Rule-19 of the Bihar Registration Rules, 2008: -

"19 (xvi)- If any document related to transfer of property of such real estate project, registration of which is compulsory with Real Estate Regulatory Authority Bihar, under the provision of Real Estate (Regulation and development) Act, 2016 and Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 but which is not registered with this Authority.

Provided that, it will have no effect on re-registration of Flats/Apartments registered before enforcement of Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017 constituted under Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016."

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI ,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 811-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in